Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 12-Oct-2018 **TIME : 12:50 pm**

मुख्य परीक्षा

प्र. राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव, संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाते हुए, इसकी आलोचनाएँ भी स्पष्ट कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

Indirect Presidential election is in harmony with the parliamentary system of government as envisaged by the constitution. Explain the procedure of Presidential election and its criticism in the light of the above statement. (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- भूमिका : संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह एक अवस्था होती, यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो उसे वास्तविक शक्तियाँ न दी जातीं।

राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया: (अनुच्छेद-55) राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं (दिल्ली और पाण्डिचेरी केन्द्रशासित प्रदेश) के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। इसके चुनाव में निर्वाचकमंडल के प्रत्येक सदस्य को वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन वह विभिन्न उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम सूचित कर सकता है। निर्वाचन के पश्चात् प्रथम चक्र की मतगणना होती है जिसमें पहली वरीयता के अनुसार उम्मीदवारों को मत बाँट दिए जाते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा (50 प्रतिशत से एक अधिक) प्राप्त हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है लेकिन यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो तो जिस उम्मीदवार को प्राप्त मतों का मूल्य सबसे कम है, उसे चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसे प्राप्त मत अन्य उम्मीदवारों के बीच द्वितीय वरीयता के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और वह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त न हो जाए।

आलोचनाएँ

- राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली काफी जटिल है, जिसे सामान्य नागरिक को समझ पाना कठिन है।
- राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम सूचित करना अनिवार्य नहीं है, यदि बड़ी संख्या में निर्वाचन मंडल के सदस्य ऐसा न करें तो निर्वाचन प्रक्रिया में गतिरोध हो जाएगा।
- यदि दो उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का मूल्य समान हो जाए तो पूरी प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा।
- राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू करना संभव नहीं क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों पर लागू है।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

GS World Committed To Excellence